

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री पुष्करलाल

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी.

विपक्षी :- श्री गेबीलाल

पत्रावली संख्या :97 /24

जीसीएमएस : 2024 /375

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुनाए जाये की गई
	<p>दिनांक : 06.09.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर रोजगार हेतु सुरत गुजरात चले जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन किया। मूल पत्रावली के अवलोकन से वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो ही अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.06.2024 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही समयावधि से पूर्व ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद सं. 152/22 अनवान पुष्करलाल बनाम गेबीलाल दिनांक 06.06.2024 को वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 06.06.2024 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में माकुल कारण बताया जिससे यह न्यायालय संतुष्ट हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 500/- पांच सौ रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 152/22 वाद पुष्करलाल बनाम गेबीलाल में आदेश दिनांक 06.06.2024 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि 500/- पांच सौ रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

